63

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी</u>

सिविल प्रकरण संख्याः— 62/2017

तारीख रजू 22.11.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. लोकेश कुमार गुप्ता पुत्र योगन्द्र कुमार गप्ता जाति महाजन निवासी 3/31 हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर मैसर्स एल.के.एजेंसीज 8,9 सहकारी उपभोक्ता भण्डार कॉम्पलेक्स बजरिया सवाई माधोपुर
2. अंकुर माथुर (प्रोपराईटर) मैसर्स रश्मि डिस्टीब्यूटर्स बी—52 यश अपार्टमेन्ट तिलक नगर जयपुर प्रथम।
3. रामस्वरूप नटानी (भागीदार) निवासी बी—7 शिवाजी मार्ग नेहरू नगर जयपुर मैसर्स जाईमैक्स फार्मास्यूटिकल्स शॉप नम्बर 62 शास्त्री नगर कामधेनू शॉपिंग सेन्टर जयपुर।
4. सुधीर नटानी (भागीदार) निवासी बी—7 शिवाजी मार्ग नेहरू नगर जयपुर मैसर्स जाईमैक्स फार्मास्यूटिकल्स शॉप नम्बर 62 शास्त्री नगर कामधेनू शॉपिंग सेन्टर जयपुर।
5. मैसर्स नाहर फार्मास्यूटिकल्स ए 31—31, 22 गोदाम करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।
6. आशा शर्मा (प्रोपराईटर) निवासी 5 बी, अग्रसेन कॉलोनी ब्रहमपुरी जयपुर मैसर्स नाहर फार्मास्यूटिकल्स शॉप नम्बर 431 सरावदा कॉम्पलेक्स खजाने वालो का रास्ता जयपुर।
7. मैसर्स नाहर फार्मास्यूटिकल्स शॉप नम्बर 431 सरावदा कॉम्पलेक्स खजाने वालो का रास्ता जयपुर।

.... अभियुक्तगण

<u>न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)</u>

निर्णयः—

दिनांक 12.10.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत [illegible] अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक दिनांक 20.09.2016 को समय 4.00 पी. एम. पर मैसर्स एल.के एजेंसीज 8,9 सहकारी उपभोक्ता भण्डार कॉम्पलेक्स बजरिया सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहूँचा। वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम लोकेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित मिला आवेदक ने अभियुक्त को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति नहीं होना जाहिर किया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) 200 ग्राम के लगभग 201 डिब्बे दुकान मे रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) 200 ग्राम के क्रय बिल की प्रति मांगी जिस पर विक्रेता द्वारा मौक पर क्रय बिल की प्रति पेश की तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) के 8 डिब्बे वास्ते नमना जॉच हेतु क्रय कर राशि 352 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करावाये तथा उपस्थित गवाहान के भी हस्तारक्षकर करवाये। यह है कि आवेदक द्वारा खरीद किये गए खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) 200 gm x2 के 4 सेट तैयार कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमून का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1024 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता लोकेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र कुमार गुप्ता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षकर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रति एक लिफाफे में सी मोहर कर आउटर करव में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद अशलम द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा के यहाँ जमा करवाये गये व रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के दो सील बन्द डिब्बे (II वे III पार्ट) व फार्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested

१६
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर स्वयं आवेदक द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/3138 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 250/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/380 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) मिस ब्राण्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में उपर अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शारिस्त राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वंय उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति के चिली पाउडर (विनीत ब्राण्ड) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से Protien Powder (Morvit) का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं मानक स्तर का माना गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य दे[illegible] नहीं दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण [illegible] निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवे[illegible] द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन क[illegible] निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या

१६

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

निर्णय ता० 12/10/21

68

250/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/380 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा भी अपने जवाब में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Protien Powder (Morvit) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 7 पर संयुक्त रूप से 5,000/—रू0 (अक्षरे पॉच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:44 IST
Reason: SelfAttested